(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 223-दो/2017 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 - पारित व्दारा - कलेक्टर जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 47/2006-06 निगरानी

ओमप्रकाश पुत्र कालूराम शर्मा
ग्राम बगुल्या तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश । ——आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा
कलेक्टर जिला अशोकनगर ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 03- 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 47/2006-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-12-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार अशोकनगर को प्रार्थना पत्र दिनांक 8-7-2004 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दियाधरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 96 रकबा 0.052 हैक्टर, सर्वे कमांक 99 रकबा 0.219 हैक्टर, सर्वे कमांक 103 रकबा 0.125 हैक्टर पर कुल किता 3 कुल रकबा 0.396 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रसति भूमि सम्बोधित किया गया है) पर पिछले 17-18 साल से उसका कब्जा चला आ रहा है इस भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है यह भूमि निजी खाते की भूमि सर्वे नंबर 102 एंव 104 से लगी है एंव मिली हुई जो इक्जाई हो गई है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होने से स्वतंत्र रूप से बन्टन योग्य नहीं है इसलिये भूमि सामिल खाता की जावे। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 3 अ-19/ 2003-04 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-5-2005 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया।

नव पदस्थ तहसीलदार अशोकनगर ने तत्का. तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 3 अ-19/ 2003-04 को दिनांक 21-3-2006 को जांच में लिया एंव पूर्व तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश में अनियमिततायें करना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से कलेक्टर अशोकनगर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर अशोकनगर ने प्र0क0 47/2006-06 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरांत आदेश दिनांक 13-12-06 पारित करके तहसीलदार अशोकनगर के प्र0क0 3 अ-19/ 2003-04 में पारित व्यवस्थापन आदेश दि. 30-5-2005 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 3 अ-19/ 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2005 के विरूद्व किसी ग्रामवासी ने स्वमेव निगरानी प्रस्तुत नहीं की है एंव किसी ग्रामवासी ने भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व शिकायत आदि भी नहीं की है। तत्का. तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 3 अ-19/ 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2005 को नव पदस्थ तहसीलदार अशोकनगर ने स्वस्तर से जांच में लिया है, जबकि किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ने जांच आदि का कोई आदेश/निर्देश नहीं दिया है, ऐसा कोई अभिलेख भी कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 47/2006-06 निगरानी में संलग्न नहीं है और नव पदस्थ तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 3 अ-19/ 2003-04 में जांच प्रतिवेदन लिखते समय ऐसा कोई अभिलेख भी संलग्न नहीं किया है। नव पदस्थ तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन दिनांक 21-3-2006 के प्रथम पद में इस प्रकार लेख है -

" 21-3-2006 - प्रकरण जांच में लिया जाकर अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न लिखित अनियमिततायें परिलक्षित होती हैं "

विचार योग्य है कि क्या एक तहसीलदार के प्रकरण में पारित आदेश की जांच उसके स्थानान्तरण होने पर बिना पुनरावलोकन की अनुमति लिये दूसरा तहसीलदार कर सकता है। बिना सक्षम आदेश के अथवा बिना पुनरावलोकन की अनुमति लिये एक तहसीलदार - दूसरे तहसीलदार के पूर्व प्रकरण की जांच स्वस्तर से करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन दिनांक 21-3-2006 दूषित प्रकिया पर

आधारित है जो द्वेषभावना का द्योतक है।

5/ कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 47/2006-06 निगरानी में आवेदक को दिये गये कारण बताओ नोटिस के बचाव में आवेदक द्वारा उत्तर दिनांक 27-10-2006 प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतिम पद का उद्धरण इस प्रकार है :-

" अनावेदक के पास ग्राम दियाधरी में मात्र 0.837 है0 भूमि ही परिवार के जीवन निर्वाह के लिये है और शामिल भूमि को मिलाकर भी अनावेदक के पास 2 हैक्टर भूमि नहीं होती है। "

यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया जाय - म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 24 में भूमि व्यवस्थापन वावत् निर्देश है -

कंडिका 24 - आवंटन हेतु छोटे छोटे टुकड़े - भूमियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो पहाड़ी अथवा पथरीली असिंचित भूमि के मामले में एक हैक्टर से अधिक न हों, अथवा अन्य प्रकार की असिंचित भूमि के मामले में 1/2 हैक्टर या उससे कम हों और जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बंटित नहीं किये जा सकते हों, भूमि के बेहतर उपयोग की दृष्टि से उससे लगी भूमि के भूधारी को बंटित किये जा सकेंगे।

वाद विचारित कुल भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.396 हैक्टर अर्थात 0.500 हैक्टर कम का व्यवस्थापन किया गया है क्योंकि आवेदक के पास पूर्व से धारित भूमि 0.837 है0 में व्यवस्थापित भूमि जोड़ने पर कुल भूमि 1.233 हैक्टर होती है जबकि किसी भी कृषक के पास व्यवस्थापित भूमि मिलाकर 2 हैक्टर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिये। इस प्रकार आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र है। किसी ग्रामवासी को व्यवस्थापन पर आपत्ति, शिकायत न होने के आधार पर पात्रतानुसार भूमि का व्यवस्थापन किया गया है।

6/ कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 13-12-06 के पद 10 में अंकित किया है सर्वे कमांक 103 नाला भूमि है एंव मद परिवर्तन कराये बिना भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 27 में भूमि व्यवस्थापन वावत् निर्देश है -

कंडिका 27 - खेत के नाले - जहां कोई नाला किसी के खेत में हो और बरसात के सिवाय अन्य ऋतुओं में उसमें पानी न रहता हो और किसी किसान के काम में न आता हो, तो उसका व्यवस्थापन अलाटमेंट अधिकारी उसी कास्तकार के साथ कर सकते है। ऐसे नाले की भूमि उसी हक में दी जावे जिस हक में आसपास के खेत हों। यदि नाले का क्षेत्रफल 1/2 हैक्टर से कम हो तो भू राजस्व नहीं लिया जायेगा।

जबकि सर्वे कमांक 103 नाला भूमि का रकबा 0.125 आरे सामिल खाता किया गया है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 13-12-06 में

निकाला गया निष्कर्ष उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य सही नहीं है । इसके विपरीत तहसीलदार अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 30-5-2005 से किये गये भूमि व्यवस्थापन में किसी प्रकार की अवैधानिकता नजर नहीं आती है। कलेक्टर अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 13-12-2006 में विज्ञप्ति का प्रकाशन समुचित तरीके से न कराने आदि तथ्यों का उल्लेख किया है।

इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवन्टन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155 = 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 के न्याय दृष्टांत हैं कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवन्टन रद्ध नहीं किया जा सकता। यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है। आज की स्थिति में भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30-5-2005 को 17 वर्ष पूर्ण है आवेदक को प्राप्त लाभ से बंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं है, परन्तु कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण में न्याय प्रकिया अनुसार उदार दृष्टिकोण न अपनाते हुये आदेश दिनांक 13-12-06 पारित करने भूल की गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 47/2006-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-12-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर